

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1327 का संशोधन सहीत नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1327

विषय / Sub : टी 351 कंडीशन्स में एल्यूमिनियम एलॉय एयू4जी1 एक्सट्रूडेड फ्लैट्स Aluminium Alloy AU4G1 Extruded Flats in T351 in Condition

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स ऑर्डिनेंस फैक्टरी, अंबाझरी, नगापुर- 440 021, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "टी 351 कंडीशन्स में एल्यूमिनियम एलॉय एयू4जी1 एक्सटूडेड फ्लैट्स "को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1327, दिनांक 21 फरवरी 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1327 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1327/1आर, दिनांक 31 दिसंबर 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक है।

This is to state that the "Aluminium Alloy AU4G1 Extruded Flats in T351 in Condition", developed and manufactured by M/s Ordnance Factory, Ambajhari, Nagpur – 440 021 was issued with Type Approval Number: 1327 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1327, dated: 21st February 2008. Subsequently renewed the type approvals renewed vide Reference number: CEMILAC/5070/TA-1327/1R, Dated: 31st December 2012 and validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), डी आर डी ओ, सेमिलैक, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री व फॉर्ज प्रभाग, बेंगलूरु- 560 017, से अनुरोध करना होगा।

ਪ੍ਰਬ/Page 01 of 02

This is to certify that Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए–1327, दिनांक 21 फरवरी 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1327, dated: 21th February 2008.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण (सेमिलैक), बेंगलूरु –560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।"[

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

संN /. o.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1327/2R

दिनांक / Date : **)** December 2017 फैक्स सं / .Fax No.: 080–25230856

第 北.

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)